

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2011—आषाढ़ 3, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2011

क्र. ई-1-111-2011-5-एक.—श्रीमती आभा अस्थाना, भाप्रसे (1977) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति एवं संसदीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक ट्रस्टी सचिव, भारत भवन का प्रभार सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-176-2011-5-एक.—(1) श्री आर. के. चतुर्वेदी, भाप्रसे (1987) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत की सेवाएं अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख राजस्व आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए राजस्व विभाग को सौंपी जाती है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री आर. के. चतुर्वेदी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रमुख राजस्व आयुक्त के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

(3) श्री सुदेश कुमार, भाप्रसे (1984) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(4) श्री प्रभाकर बंसोड, भाप्रसे (1985), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी

आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(5) उपरोक्तानुसार श्री प्रभाकर बंसोड द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक दास, भाप्रसे (1978), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा जेल विभाग केवल प्रमुख सचिव, जेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(6) श्री एस. डी. अग्रवाल, भाप्रसे (1989), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं हौम्योपैथी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं हौम्योपैथी पदस्थ किया जाता है।

(7) राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं हौम्योपैथी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित संभागीय कमिशनर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

(8) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, भाप्रसे (1992), परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की सेवाएं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से वापस लेकर उनकी सेवाएं अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के पद पर नियुक्ति के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपी जाती है।

(9) राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित संभागीय कमिशनर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-1-330-2009-5-एक.—मध्यप्रदेश संवर्ग को आवंटित भाप्रसे के 2010 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिए उनके नाम के सामने दर्शाएं जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है:—

संक्र.	अधिकारी का नाम	सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापना का जिला
(1)	(2)	(3)
1.	श्री अनय द्विवेदी	खण्डवा
2.	सुश्री तन्वी सुंदरियाल	ग्वालियर
3.	श्री तरुण राठी	राजगढ़

(1)	(2)	(3)
4.	श्री गणेश शंकर मिश्रा	सिंगरौली
5.	श्री अभिजीत अग्रवाल	सिवनी
6.	श्री कर्मवीर शर्मा	होशंगाबाद
7.	श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह	सागर
8.	श्री अनुराग चौधरी	छिन्दवाड़ा
9.	श्री भास्कर लक्ष्मकार	शहडोल
10.	श्री आशीष सिंह	कटनी

(2) उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्यग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

भोपाल, दिनांक 7 जून 2011

क्र. ई-5-501-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 20 से 25 जून 2011 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 जून 2011 एवं दिनांक 26 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री बी. आर. नायडू की अवकाश की अवधि में श्री आई.एस. दाणी, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बी. आर. नायडू द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई.एस. दाणी, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 8 जून 2011

क्र. ई-5-805-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग, सागर को दिनांक 13 से 25 जून 2011 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 जून 2011 एवं 26 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व) सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 9 जून 2011

क्र. ई-5-843-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीरज दुबे, कलेक्टर, जिला शहडोल को दिनांक 11 से 15 जुलाई 2011 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 जुलाई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री नीरज दुबे की अवकाश की अवधि में श्री अनूप सिंह, अपर कलेक्टर, जिला शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री नीरज दुबे द्वारा कलेक्टर, जिला शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनूप सिंह, कलेक्टर, जिला शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-659-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. के. वेद, आयएएस, कमिश्नर, सागर संभाग, सागर को दिनांक 4 से

8 जुलाई 2011 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 3 जुलाई 2011 एवं दिनांक 9, 10 जुलाई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री एस. के. वेद की अवकाश की अवधि में डॉ. ई. रमेश कुमार, आयएएस., कलेक्टर, जिला सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. वेद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. के. वेद द्वारा कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. ई. रमेश कुमार, कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. के. वेद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. वेद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-684-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित राठौर, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग एवं पदेन संचालक, बजट को दिनांक 11 से 23 जुलाई 2011 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 एवं 24 जुलाई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग एवं पदेन संचालक, बजट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 10 जून 2011

क्र. ई-5-460-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आलोक श्रीवास्तव, आयएएस., तत्का. पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं प्रशासक,

राजधानी परियोजना प्रशासन तथा प्रमुख सचिव, अपरम्परागत ऊर्जा विभाग (वर्तमान में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 फरवरी 2011 द्वारा दिनांक 13 से 25 जून 2011 तक, तेरह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश एवं उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 एवं 26 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी गई है।

(2) श्री आलोक श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्री दिलीप सामन्तरे, आयएएस., (1982) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत को प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) श्री आलोक श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दिलीप सामन्तरे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(4) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 फरवरी 2011 की 3, 4 कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-792-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, आयएएस., संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 6 से 17 जून 2011 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-810-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती पुष्पलता सिंह, आयएएस., कलेक्टर, जिला देवास को दिनांक 13 से 17 जून 2011 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 जून 2011 एवं 18, 19 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्रीमती पुष्पलता सिंह की अवकाश की अवधि में श्री एस. सी. शर्मा, अपर कलेक्टर, देवास को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला देवास का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पुष्पलता सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, जिला देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती पुष्पलता सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला देवास का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. सी. शर्मा, कलेक्टर, जिला देवास के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती पुष्पलता सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पुष्पलता सिंह अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती।

भोपाल, दिनांक 12 जून 2011

क्र. ई-1-192-2011-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री अजय तिर्की (1987), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त।	कमिशनर, रीवा संभाग, रीवा।
2.	डॉ. रविन्द्र कुमार पस्तौर (1992), कमिशनर, रीवा संभाग, रीवा।	कमिशनर, जबलपुर संभाग, जबलपुर।

भोपाल, दिनांक 13 जून 2011

क्र. ई-1-274-2008-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017-52-2008-AIS(I), दिनांक 1 जून 2011 द्वारा श्रीमती कामिनी चौहान रत्न, भाप्रसे (1997) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को मध्यप्रदेश

संवर्ग से उनके मूल संवर्ग (उत्तर प्रदेश संवर्ग) में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं।

(2) अतः, राज्य शासन श्रीमती कामिनी चौहान रतन, भाप्रसे (1997) को उत्तर प्रदेश संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है।

भोपाल, दिनांक 14 जून 2011

क्र. ई-1-193-2011-5-एक.—श्री सुभाष जैन, भाप्रसे (1995) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग पदस्थ किया जाता है।

(2) श्री सुभाष जैन द्वारा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में नियमावली, 2007 की अनुसूची-II-बी में सम्मिलित संभागीय कमिशनर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-1-193-2011-5-एक.—श्रीमती जी. वी. रश्मि, भाप्रसे (2005), प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर की पदस्थापना इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जून 2011 द्वारा कलेक्टर, डिण्डौरी के पद पर की गई है। प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर के प्रभार से उनके मुक्त होने पर श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे (1988) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, वित्त निगम, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर के पद का प्रभार अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-484-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रभाकर बंसोड़, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा.प्र.वि. (मानव अधिकार), जेल विभाग को दिनांक 29 जून 2011 से 6 जुलाई 2011 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री प्रभाकर बंसोड़ की अवकाश अवधि में श्री संजय कुमार सिंह, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. (मानव अधिकार), जेल विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभाकर बंसोड़ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. (मानव अधिकार), जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री प्रभाकर बंसोड़ द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा.प्र.वि. (मानव अधिकार), जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय कुमार सिंह, जन शिकायत निवारण एवं सा.प्र.वि. (मानव अधिकार), जेल विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री प्रभाकर बंसोड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभाकर बंसोड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-478-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अनिल श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को दिनांक 20 से 25 जून 2011 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अनिल श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्री नीरज मण्डलोई, आयएएस., प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ श्री अनिल श्रीवास्तव का चालू कार्यभार देखेंगे।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में श्री अनिल श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-667-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पी. के. पाराशर, आयएएस., कमिशनर, इन्दौर संभाग, इन्दौर को दिनांक 20 जून से 2 जुलाई 2011 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 जून 2011 एवं 3 जुलाई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री पी. के. पाराशर की अवकाश अवधि में श्री प्रमोद कुमार दास, आयएएस., वि. क. अ.-सह-श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिशनर, इन्दौर संभाग, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. पाराशर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कमिशनर, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री पी. के. पाराशर द्वारा कमिशनर, इन्दौर संभाग, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद कुमार दास, कमिशनर, इन्दौर संभाग, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री पी. के. पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 9 जून 2011

क्र. एफ-3-1-2011-एक-4.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-प.ब.-एक, तारीख 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परकार्य लिखित अधिनियम (निगोशिएल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में विधान सभा उप चुनाव 2011 के सिलसिले में नीचे की अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उनके सामने अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा।

भोपाल, दिनांक 13 जून 2011

क्र. ई-1-193-2011-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री डी. डी. अग्रवाल (95) कलेक्टर, खण्डवा	प्रबंध संचालक, महिला वित्त विकास निगम तथा मिशन संचालक अटल बाल आरोग्य मिशन।	संभागीय कमिशनर

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री जी. पी. श्रीवास्तव (97) कलेक्टर, रीवा.	संचालक, कौशल विकास जबलपुर.	-
3.	श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता (98) कलेक्टर, गुना.	कलेक्टर, देवास	-
4.	श्रीमती पुष्पलता सिंह (98) कलेक्टर, देवास.	कलेक्टर, अलीराजपुर	-
5.	श्रीमती रजनी उर्ईके (99) उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग तथा सचिव राज्य निर्वाचन का अतिरिक्त प्रभार.	कलेक्टर, अनूपपुर	-
6.	श्री संदीप यादव (2000) कलेक्टर, सीहोर.	कलेक्टर, गुना	-
7.	श्री कविन्द्र कियावत (2000) कलेक्टर, अनूपपुर.	कलेक्टर, खण्डवा	-
8.	श्री मनोहर लाल दुबे (2000) कलेक्टर, सिवनी.	कार्यपालन संचालक पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) तथा डीएमआई तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
9.	श्री शिवनारायण रूपला (2000) कलेक्टर, श्योपुर.	कलेक्टर, रीवा	-
10.	श्रीमती जयश्री कियावत (2000) कलेक्टर, दतिया.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	-
11.	श्री अशोक देशवाल (2000) कलेक्टर, अलीराजपुर.	कलेक्टर, दतिया	-
12.	श्री के. सी. जैन (2000) कलेक्टर, पन्ना.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.	-
13.	श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव (2001) कलेक्टर, टीकमगढ़.	कलेक्टर, भिण्ड	-
14.	श्री अजीत कुमार (2002) परियोजना समन्वयक, डीपीआईपी.	कलेक्टर, सिवनी	-

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	श्री संजय गोयल (2003) कलेक्टर, नीमच.	कलेक्टर, सीहोर	-
16.	श्री रघुराज एम. आर. (2004) कलेक्टर, भिण्ड.	कलेक्टर, टीकमगढ़	-
17.	श्री लोकेश कुमार जाटव (2004) कलेक्टर, डिण्डौरी.	कलेक्टर, नीमच	-
18.	श्रीमती जी. वी. रश्मि (2005) प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर.	कलेक्टर, डिण्डौरी	-
19.	श्री धनंजय सिंह भदौरिया (2006) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर (विकास) रायसेन.	कलेक्टर, पन्ना	-

(2) उपरोक्तानुसार श्री मनोहर लाल दुबे, भाप्रसे (2000) द्वारा कार्यपालन संचालक पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) तथा डीएमआई का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रवीण गर्ग, भाप्रसे (88) आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा कार्यपालन संचालक पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) तथा डीएमआई केवल कार्यपालन संचालक पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) तथा डीएमआई के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होगे.

(3) श्री विवेक अग्रवाल, भाप्रसे (94) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक सचिव, मुख्यमंत्री का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(4) श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे (94) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक सचिव, मुख्यमंत्री का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(5) उपरोक्तानुसार श्री डी. डी. अग्रवाल, भाप्रसे (95) द्वारा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सुधा चौधरी भाप्रसे (91) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश दुर्ग महासंघ तथा सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा प्रबंध संचालक महिला वित्त एवं विकास निगम केवल प्रबंध संचालक महिला वित्त एवं विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव।

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जून 2011

क्र. एफ-03-01-2010-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा माह जनवरी 2011 में सम्पन्न हुई थी, में निम्नलिखित विषयों में कोई भी परीक्षार्थी उत्तीर्ण नहीं हुआ हैः—

क्रमांक	विषय	परीक्षाफल
(1)	(2)	(3)
1	लेखा-प्रश्नपत्र—द्वितीय (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	निरंक
2	लेखा-प्रश्नपत्र—द्वितीय (बिना पुस्तकों के) बन क्षेत्रपालों के लिये.	निरंक
3	विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंसूलेशन को आडिनेशन व हजार्डस एरिया) ऊर्जा विभाग के लिये.	निरंक
4	प्रक्रिया-प्रश्न पत्र-प्रथम (बिना पुस्तकों के) बन क्षेत्रपालों के लिये.	निरंक
5	सिविल पशु चिकित्सा अधिकारियों का लेखा-प्रश्नपत्र भाग-एक (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	निरंक
6	सिविल पशु चिकित्सा अधिकारियों का लेखा-प्रश्नपत्र भाग-दो (पुस्तकों सहित) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	निरंक
7	Switchgear & Protection (बिना पुस्तकों के) ऊर्जा विभाग के लिये.	निरंक

क्र. एफ-03-42-2011-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र-हिन्दी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता हैः—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
भोपाल संभाग		
1	श्री राकेश पिप्पल	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
2	श्री धनराजु एस.	सहायक कलेक्टर
होशंगाबाद संभाग		
3	श्री तेजस्वी एस. नायक	सहायक कलेक्टर

भोपाल, दिनांक 14 जून 2011
क्र. एफ-1-(ए)46-2003-ब-2-दो.—(1) श्री आर. के. चौधरी, भापुसे, तत्का. सेनानी, 7वीं वाहनी, विसबल, भोपाल को दिनांक 16 फरवरी से 25 मार्च 2010 तक, कुल अड़तीस दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
(2) अवकाशकाल में श्री आर. के. चौधरी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. चौधरी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1-(ए)91-2001-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 फरवरी 2011 द्वारा श्री के. के. लोहानी, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 21 फरवरी 2011 से 5 मार्च 2011 तक, कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था।

(2) राज्य शासन द्वारा श्री के. के. लोहानी, भापुसे द्वारा अवकाश वृद्धि किये जाने के परिणामस्वरूप उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उन्हें दिनांक 21 फरवरी 2011 से 11 मार्च 2011 तक, कुल उनीस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति दिनांक 19, 20 फरवरी 2011 एवं 12, 13 मार्च 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ प्रदान की जाती है।

(3) उक्त आदेश दिनांक 14 फरवरी 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 15 जून 2011

क्र. एफ-1-(ए)28-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्रीमती रूचिका जैन जिंदल, भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को दिनांक 30 मई 2011 से 25 नवम्बर 2011 तक, कुल 180 दिवस

का प्रसूति अवकाश दिनांक 29 मई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ प्रसूति अवकाश की सामान्य शर्तों के अध्यधीन स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती रुचिका जैन जिंदल, भापुसे के अवकाशकाल में उनका कार्यदायित्व श्री एम. एस. वर्मा, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रुचिका जैन जिंदल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती रुचिका जैन जिंदल, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. एस. वर्मा, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर उक्त अतिरिक्त कार्यभार से स्वमेव मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रुचिका जैन जिंदल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रुचिका जैन जिंदल, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, प्रमुख सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2011

क्र. एफ-13-1-2011-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, संजय गांधी ताप विद्युत् गृह क्रमांक 3 की इकाई क्रमांक 5 के वाष्यन्त्र क्रमांक एम. पी./4672 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 26 अप्रैल 2011 से 25 जून 2011 तक, दो माह के लिये छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगा।

(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।

(5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के सम्बन्ध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे बापस ले सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत कुमार व्यास, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जून 2011

क्र. डी-15-08-2011-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 19 सन् 1960) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2978-2996-चौदह-1, दिनांक 15 अप्रैल 1964 द्वारा खण्डवा जिले की हरसूद तहसील के क्षेत्र में जो इसमें इसके पश्चात् “उक्त मंडी क्षेत्र” के नाम से निर्दिष्ट है, उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था।

और, चूंकि, “उक्त मंडी क्षेत्र” में से नीचे दी गई अनुसूची में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है), को अपवर्जित करके उक्त मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा

“उक्त मंडी क्षेत्र” में “उक्त क्षेत्र” को अपवर्जित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

अनुसूची

1. पामाखेड़ी, 2. डाग, 3. डंठा, 4. नन्दाना, 5. टिटवास,
6. डाबरी, 7. बोरखेड़ाकला, 8. हनवन्तिया,
9. भगवानपुरा, 10. भुरलाय, 11. फेफरिया कला,
12. सीवर, 13. मोहन्याकला, 14. मोहन्याखुर्द,
15. सिवरिया, 16. दिनकरपुरा, 17. देवला,
18. कौड़ियाखेड़ा, 19. भिलाई, 20. सोमगांव,
21. करोली, 22. छाल्पीखुर्द, 23. सिंघेड़, 24. रोहलगांव
25. सिंगाजी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 14 जून 2011

क्र. डी-15-08-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उप सचिव।

Bhopal, the 14th June 2011

No. D-15-08-2011-XIV-3.—WHEREAS, by this department Notification No. 2978-2996-14-1 dated 15-4-1964 issued under the provisions of sub-section (3) of

Section 3 of the Madhya Pradesh Agriculture produce market Act, 1960 (No. 19 of 1960), the State Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said notification in the area all Revenue & Forest village of Harsud Tehsil of Khandwa District, (here in after referred to as the "said market area.")

AND, WHEREAS, it is now proposed to alter the limits of the said market area by excluding therefrom the area comprising of villages situated in the following list villages of Harsud Tehsil of Khandwa Dsitrict. (here in after referred to as the "said area").

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clasue (i) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by signifies its intention to alter the limits of the said market area by excluding therefrom at the "said area" From the "said market area". (here in after referred to as the "said area").

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.

LIST

1. Pamakhedi, 2. Dag, 3. Thanda, 4. Nandana,
5. Titwas, 6.Dabari, 7. Borkhedakala,
8. Hanwantiya, 9. Bhagwanpura, 10. Bhurlay,
11. Phephariya kala, 12. Seevar,
13. Mohaniyakala, 14. Mohaniyakhurd,
15. Sivariya, 16.Dinkarpure, 17. Devla,
18. Kaodiyakheda, 19. Bhilai, 20. Somgawon,
21. Karoli, 22. Chhalpikhurd, 23. Singhkhed,
24. Rohalgawon, 25. Singaji.

By Order and in the name of the Governor
of the Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2011

क्र. एफ. 1-27-2011-स्था-उन्नीस.—मुख्य अभियंता (सिविल) से प्रमुख अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 24 मई 2011 को संपन्न छानबीन समिति की बैठक की अनुशंसा अनुसार राज्य शासन एतद्वारा निमांकित मुख्य अभियंता (सिविल) लोक निर्माण विभाग को, प्रमुख अभियंता और मुख्य अभियंता भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम 1983 सहपठित म. प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अन्तर्गत, प्रमुख अभियंता के पद पर वेतनमान पे बैड-4 रुपये 37400-67000+ग्रेड पे 10,000/- में पदोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने

के दिनांक से, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, उनके नाम के समक्ष कॉलम 4 में दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ करता है:—

क्र. (1)	मुख्य अभियंता का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	पदोन्नति उपरान्त नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री अखिलेश अग्रवाल	मुख्य अभियंता, प्रतिनियुक्ति पर मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल।	प्रतिनियुक्ति से सेवाएं वापस लेते हुए प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण मध्यप्रदेश, भोपाल
2.	श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल	मुख्य अभियंता वर्तमान में अपर सचिव, म. प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग।	सामान्य प्रशासन विभाग से सेवाएं वापस लेते हुए सलाहकार (राज्य योजना आयोग विशेष क्षेत्र प्रकोष्ठ हेतु) राज्य योजना आयोग मध्यप्रदेश भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को सौंपते हुए)
3.	श्री विजय सिंह वर्मा	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण सेतु परिक्षेत्र, भोपाल।	सचिव, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल (सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपते हुए).

(2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष ठाकुर, अवर सचिव।

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2011

क्र. एफ. 3-159-2010-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, इस विभाग की सूचना क्र. एफ. 3-159-2010-बत्तीस, दिनांक 24 नवम्बर 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित सिंगरौली विकास योजना, 2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण व्यौरै निम्नानुसार हैं:—

क्रमांक (1)	ग्राम (2)	खसरा क्रमांक (3)	उपांतरण विवरण		उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू उपयोग (6)
			क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)	
1	बिलौजी तेलियान।	2, 3, 4, 5, 757 758, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,	15.129	आवासीय तथा उद्यान प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक वर्तमान मार्ग की प्रस्तावित चौडाई	सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक के अंतर्गत प्रशासकीय (मार्ग एवं प्रस्तावित मार्गों की भूमि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 759, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 761, 84, 85 88, 89, 90, 91, 92/1, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101		35 मीटर अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान प्रस्तावित वाणिज्यिक प्रस्तावित आवासीय, वर्तमान वाणिज्यिक, प्रस्तावित वृक्षारोपण, प्रस्तावित मार्ग 35 मीटर एवं 18 मीटर चौड़ा.	उपयोग यथावत रखते हुये)
माजन		1323, 1324			
खुद					
		योग . .	15.129		

2. उपरोक्त उपांतरण सिंगरौली विकास योजना, 2011 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बर्षा नावलेकर, उपसचिव,

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
भोपाल, दिनांक 9 जून 2011
विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

क्र. एफ. 3-43-2011-दो-ए(3).—प्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिये विभागीय परीक्षाएं दिनांक 25 जुलाई 2011 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, होशंगाबाद एवं शाहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निर्मांकित कार्यक्रमों के अनुसार होंगी:—

प्रश्न पत्र	प्रश्न पत्र का विषय	समय
(1)	(2)	(3)

सोमवार, दिनांक 25 जुलाई 2011

- पहला प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित)पुलिस, सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये।
- पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित)।
- विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)
- विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)।
- पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये।

प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.

(1)	(2)	(3)
59.	विद्युत् संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना पुलिस, सामान्य प्रशासन, भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	
7.	दूसरा प्रश्नपत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	
60.	भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	
मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2011		
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
10.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-बी.	
11.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-सी.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत् संस्थापनाएं-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	
17.	तीसरा प्रश्नपत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

(1)	(2)	(3)
62.	लेखा व स्थापना-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये।	दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।

बुधवार, दिनांक 27 जुलाई 2011

20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया-राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक।
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये। (पुस्तकों सहित)।	
22.	प्रश्नपत्र-प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये।	
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये।	
24.	पुलिस अधिकारियों की “व्यवहारिक परीक्षा”।	
25.	स्वच गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये।	
26.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये।	
27.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये।	
28.	पुलिस अधिकारियों की “पुलिस शाखा” प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के)।	
29.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये।	
30.	तीसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये।	
31.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये।	
32.	चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये।	
33.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये।	
34.	विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंसूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि./सु.) के लिये।	

गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई 2011

33.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक।
34.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये।	
35.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये।	

(1)	(2)	(3)
36.	प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये।	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये।	
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये।	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक।
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये।	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये।	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये।	
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये।	
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये।	दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये।	
67	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये।	

शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई 2011

45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक।
46.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा के भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)।	
47.	प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये।	
48.	प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये।	
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये। (पुस्तकों सहित)।	
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये।	
65.	पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये।	

(1)	(2)	(3)
68.	तृतीय प्रश्नपत्र-महिला एवं बाल कल्याण-महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक।
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये।	दोपहर : 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक।
52.	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये।	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)।	
54.	तृतीय प्रश्नपत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये।	
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये।	दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये।	
57.	प्रश्नपत्र-तृतीय अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास-जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
69.	चतुर्थ प्रश्नपत्र-पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा-महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये।	

शनिवार, दिनांक 30 जुलाई 2011

58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक।
-----	---	---

- नोट:—**(1) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्यों, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधन नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-54-98-दो-ए(3), दिनांक 19 मार्च 1999 एवं एफ. 3-102-90-दो-ए(3), दिनांक 8 मई 1991 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नपत्र भी अनिवार्य रूप से रखा गया है।
- (2) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होगी।
- (3) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए। परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित हैं, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भें।
- (4) सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्रमांक 1-15-77-1-अ.स.- जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है। ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं

होगी परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे। इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे। संबंधित विभागाध्यक्षों/कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 10 जुलाई 2011 तक भेजेंगे। जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे।

- (5) माह जुलाई, 2011 में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा के प्रश्नपत्रों क्रमशः क्रमांक 66, 67, 68 एवं 69 सम्मिलित किये गये हैं। अतः इन विषयों में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अधिकारियों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें एवं अन्य सभी निदेश पूर्व प्रचलित प्रथा अनुसार ही होंगे।
- (6) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें, इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी। कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है एस.सी./एस.टी. दर्शकर कोष्ठक में (प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए.ल. पी. जैन, अवर सचिव।

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार
कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2011

भोपाल, दिनांक 14 जून 2011

क्र. 1815.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना 2004 की कंडिका 2.6 सहपठित तथा संशोधित कंडिका 5.6 के प्रावधानानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अनुसूची-एक में प्राधिकृत अस्पतालों की अनुसूची में निर्मांकित अस्पताल/ नर्सिंग होम्स को एतद्वारा “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक जोड़ा जाता है:—

“अनुसूची-एक”

(देखें योजना की कंडिका 2.6 एवं 5.6)

प्राधिकृत अस्पताल की अनुसूची
अशासकीय अस्पताल

“अनुसूची-एक”
(देखें योजना की कंडिका 2.6 एवं 5.6)

प्राधिकृत अस्पताल की अनुसूची
अशासकीय अस्पताल

1. हिन्दुस्तान हॉस्पिटल एण्ड हार्ट इंस्टीट्यूट, सिविक सेन्टर, मढ़ाताल, जबलपुर (मध्यप्रदेश)।

1. मानसरोवर डेन्टल कॉलेज, मानसरोवर केम्पस, कोलार रोड, भोपाल (मध्यप्रदेश)।

प्रभात दुबे, सचिव।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 13 जून 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-162-10-तीन-916.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के आम निर्वाचन में सुश्री आशा रमेश भिसे, महापौर पद की अभ्यर्थी थीं। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक सुश्री आशा रमेश भिसे को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, बुरहानपुर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बुरहानपुर के पत्र क्र. क/न.पा./सा.लि.-2010-1410, दिनांक 15 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री आशा रमेश भिसे द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री आशा रमेश भिसे, को कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. एफ-67-162-2010-तीन-1285,

दिनांक 2 मार्च 2010 को जारी कर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, बुरहानपुर के माध्यम से दिनांक 29 मार्च 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में सुश्री आशा रमेश भिसे से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थी सुश्री आशा रमेश भिसे को नोटिस दिनांक 29 मार्च 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 13 अप्रैल, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। नोटिस की तामीली उपरांत अभ्यर्थी सुश्री आशा रमेश भिसे द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2010 को आयोग को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अभ्यावेदन में कम पढ़ी लिखी होना तथा अभिकर्ता द्वारा अपने दायित्व के सही एवं उचित पालन न किए जाने के कारण लेखा विहित समयावधि में दाखिल न हो पाने का लेख किया है। आयोग द्वारा उक्त आवेदन अभिमत हेतु कलेक्टर, बुरहानपुर को भेजा गया। कलेक्टर, बुरहानपुर ने अपने पत्र दिनांक 24 जून 2010 द्वारा अभिमत प्रेषित किया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2010 को कार्यालय में व्यय लेखा दाखिल करने तथा अभ्यर्थी द्वारा क्षमा याचना का लेख करते हुए अभ्यावेदन स्वीकार किया जाना उल्लिखित किया।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दो बार दिनांक 28 अगस्त, 2010 एवं 8 अक्टूबर, 2010 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी सुश्री आशा रमेश भिसे आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई। व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना-पत्र की तामीली सुश्री आशा रमेश भिसे को दिनांक 23 अगस्त, 2010 दिनांक 1 अक्टूबर, 2010 को कराई गई। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री आशा रमेश भिसे द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री आशा रमेश भिसे को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर का पार्षद या महापौर होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(रजनी उड़ेक)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 15 जून 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-1-09-तीन-936.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकारी ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकारी द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह जनवरी 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत हनुमना, जिला रीवा के आम निर्वाचन में श्रीमती प्रभादेवी गुप्ता, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। नगर पंचायत हनुमना, जिला रीवा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 फरवरी 2009 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा के पत्र क्र. 113-स्था.निर्वा./-09, दिनांक 4 मार्च 2009 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती प्रभादेवी गुप्ता द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती प्रभादेवी गुप्ता, को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2009 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा के माध्यम से दिनांक 9 जून 2009 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (तिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर

प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

श्रीमती प्रभादेवी गुप्ता को नोटिस दिनांक 9 जून 2009 को तामील कराया गया। अतः अभ्यर्थी को दिनांक 24 जून 2009 तक निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। कलेक्टर रीवा ने पत्र दिनांक 10 फरवरी 2011 में लेख किया कि “अभ्यर्थी द्वारा नोटिस तामीली पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।” उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 1 अप्रैल 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष दिनांक 3 मई 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर, रीवा द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती प्रभादेवी गुप्ता को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत हनुमना, जिला रीवा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(रजनी उड़के)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 15 जून 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-1-09-तीन-937.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके

निर्वाचन अधिकारी ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकारी द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अध्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह जनवरी 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत हनुमना, जिला रीवा के आम निर्वाचन में श्रीमती सुषमा देवी गुप्ता, अध्यक्ष पद की अध्यर्थी थीं। नगर पंचायत हनुमना, जिला रीवा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 फरवरी 2009 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा के पत्र क्र. 113-स्था.निर्वा.-09, दिनांक 4 मार्च 2009 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती सुषमा देवी गुप्ता द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती सुषमा देवी गुप्ता को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2009 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा के माध्यम से दिनांक 9 जून 2009 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अध्यर्थी से जवाब (लिखित अध्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

श्रीमती सुषमा देवी गुप्ता को नोटिस दिनांक 9 जून 2009 को तामील कराया गया। अतः अध्यर्थी को दिनांक 24 जून 2009 तक

निर्वाचन व्यय लेखा/ अध्यावेदन प्रस्तुत करना था। कलेक्टर रीवा ने पत्र दिनांक 10 फरवरी 2011 में लेख किया कि “अध्यर्थी द्वारा नोटिस तामीली पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब/ अध्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।” उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 1 अप्रैल 2011 को अध्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष दिनांक 3 मई 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर, रीवा द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2011 को कराई गई, किन्तु अध्यर्थी उपस्थित नहीं हुई।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अध्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती सुषमा देवी गुप्ता को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत हनुमना, जिला रीवा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता/-

(रजनी उड्के)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 15 जून 2011

आदेश

क्र. एफ. 1-01-2009-एक.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक ई-1-193-2011-5-एक, दिनांक 13 जून 2011 के अनुपालन में श्रीमती रजनी उड्के, उपसचिव तथा सचिव, (अतिरिक्त प्रभार), मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल को कलेक्टर, अनूपपुर का कार्यभार ग्रहण करने हेतु आज दिनांक 15 जून 2011 को अपराह्न में आयोग से भारमुक्त किया जाता है।

(माननीय आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

ए. के. शर्मा, उपसचिव।

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15 जून 2011

क्र. 13236-वि.स.-स.ले-11.—राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न विभागों में प्रचलित नियम-अधिनियम, विनियोगों का पुनरीक्षण करने एवं उनके संशोधन के लिये जारी निर्देशों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय में प्रचलित निम्नलिखित अधिनियम पर पुनर्विचार किया जाना है:—

“मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972”

उपर्युक्त अधिनियम पर पुनर्विचार हेतु अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा ने निम्नलिखित विधान सभा सदस्यों की समिति का गठन किया है:—

1. श्री हरवंश सिंह, उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा
2. श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश शासन
3. डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन
4. श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा
5. डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा
6. श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा
7. श्री रामलखन सिंह, सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा
8. श्रीमती नीता पटेरिया, सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा
9. श्री नागरसिंह चौहान, सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा

माननीय श्री हरवंश सिंह, उपाध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के सभापति तथा प्रमुख सचिव, विधान सभा समिति के पदेन सचिव होंगे।

समिति स्वयं अपनी कार्यप्रणाली निर्धारित करेगी और ऐसी जानकारी तथा साक्ष्य प्राप्त करेगी, जो वह आवश्यक समझे, विधान सभा सचिवालय ऐसी सभी जानकारियां, दस्तावेज तथा अन्य सहायता समिति को प्रदान करेगा, जिसकी समिति मांग करें।

समिति अपनी सिफारिशों शीघ्र अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा को प्रस्तुत करेगी।

आर. के. पाण्डे, प्रमुख सचिव।

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, जिला हरदा, मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 31 मई 2011

क्र. 4691-एस.डब्ल्यू.-2011.—भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना में प्रकाशित होने की तारीख से (एक) नीचे दी गई सारणी में

कालम (दो) में उल्लेखित पुलिस थानें में से उसके (सारणी) में कालम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है और (दो) उक्त सारणी के कालम (4) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त सारणी के कालम (5) में उल्लेखित हुए थानें में सम्मिलित करती हैं:—

सारणी

जिले का नाम (1)	पुलिस थाने का नाम जिसमें से अपवर्जित किया गया (2)	ग्राम का बन्दोबस्त क्रमांक (3)	ग्राम का नाम (4)	पुलिस थाने का नाम जिसमें सम्मिलित किया गया (5)
जिला-हरदा	छीपाबड	384	लोलांगरा	सिराली
		347	मुण्डासेल	सिराली
		69	केवलारी	सिराली
		06	बहाडा (बालाखेडा)	सिराली
		08	बिचपुरी रैयत	सिराली
		295	बिचपुरी माल	सिराली
		297	बिचपुरी सरकुलर	सिराली
		296	बिचपुरी सेठ	सिराली
		357	रहटाकलां	सिराली
		307	भगवानपुरा	सिराली
		373	रोलगांव	सिराली
		411	सुल्तानपुरा	सिराली
		300	बीड	हरदा
		42	कमताडा	हरदा
रहटगांव		180	डगांवाशंकर	सिराली
		349	मोहनपुर	सिराली
		195	दुलिया	सिराली
		110	घोघडा माफी	सिराली
		76	लालमाटी	सिराली
		09	अमरापुर	सिराली
		136	छुरीखाल वीरानमौजा	सिराली
		377	लालपुरा	सिराली
		412	सुल्तानपुर	सिराली
		301	बूंदडा	हरदा
		95	गहाल	हरदा
हंडिया		08	अबगांव खुर्द	हरदा
		323	भुन्नास	हरदा
		19	आलनपुर	हरदा
		143	जामली	हरदा
		04	अत्तरसमा	हरदा
		389	साकटया	छीपाबड
		230	नीमखेडा	छीपाबड
		158	बाबर	छीपाबड
टिमरनी		221	नांदवा	रहटगांव
		01	अजनई	हंडिया
		265	बमनई	हंडिया

जॉन किंगसली, जिलादण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 26 मई 2011

क्र. 23-अ-82-भू-अ.अ.-2010-11-प्र.क्र.-23अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	धारा (4) की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
दमोह	हटा	देवरी फतेहपुर	0.68	(5)
योग : 0.68				बिनती-मडियादौ मार्ग से हिनमत पटी-काईखेड़ा मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की, भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपर्युक्त हटा एवं कार्यपालन, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) दमोह संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानन्द दुबे, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 26 मई 2011

प्र.क्र. 01-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
टीकमगढ़	मोहनगढ़	टीलादांत	2.700	(5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा।				टीलादांत तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन।

प्र.क्र. 02-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	मोहनगढ़	भौरगढ़	1.890	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा.	टीलादांत तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

प्र.क्र. 03-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	मोहनगढ़	टौरिया (भौखड़ी).	2.160	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा.	टीलादांत तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

प्र.क्र. 04-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	मोहनगढ़	टपरियन	2.610	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा.	टीलादांत तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 6 जून 2011

क्र. दस-भू-अर्जन-फा 494-प्र. क्र. 10-अ-82-2010-11-2864.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	बरुका	2.770	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण	छतवई-पटासी मार्ग के निजी भूमि का अर्जन.
		कटहरी	2.275	विभाग (भ/स) शहडोल संभाग	
		पटासी	0.827	शहडोल, म. प्र.	
		बड़खेरा	2.648		
(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल, म. प्र. में किया जा सकता है।				

शहडोल, दिनांक 8 जून 2011

क्र. दस-भू-अर्जन-फा 554-प्र. क्र. 11-अ-82-2010-11-2910.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	केलमनिया	2.251	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, म. प्र.	बंधवा जलाशय योजना की दायीं मुख्य नहर में प्रभावित ग्राम केलमनिया की 2.251 है। निजी भूमि का अर्जन.
(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल, म. प्र. में किया जा सकता है।				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 7 जून 2011

क्र. 905-भू-अर्जन-2011-संशोधन.—ग्राम बागदरा तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन की भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 20 मई 2011, भाग-01 के पृष्ठ क्र. 1744 पर त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है। जिसमें निम्नानुसार संशोधन प्रकाशित किया जाना है।

त्रुटिपूर्ण प्रकाशित प्रविष्टि

(1)

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

शेष प्रविष्टि यथावत् रहेगी।

सही संशोधित प्रविष्टि

(2)

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, भीकनगांव मुख्यालय, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 19, भीकनगांव के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 7 जून 2011

क्र. 1843-भू-अर्जन-2010-रा.प्र. क्र.-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
झाबुआ	पेटलावद	भील कोटड़ा	0.20 निजी भूमि	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद,	माही परियोजना की वांयी तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु,
			योग :	0.20	जिला झाबुआ।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 8 जून 2011

क्र. 735-भू-अर्जन-2011-संशोधित अधिसूचना (डी नोटीफिकेशन)।—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभवना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
(1)	(2)	(3)	(4)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
रीवा	त्यौथर	चाकघाट	3.183	म. प्र. सड़क विकास निगम लि., रीवा (म.प्र.)	रीवा-इलाहाबाद मार्ग में एन.एच. 27 पर बार्डर चेक पोस्ट निर्माण चाकघाट।
			<u>कुल योग :</u>	<u>3.183</u>	

(1) कुल 20 किता रकवा का कुल योग 3.183 है।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 10 जून 2011

क्र. 293-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र.-02-अ-82-2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभवना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
(1)	(2)	(3)	(4)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
देवास	टोकखुर्द	लसुड़िया कुलमी	0.30	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर।	लखन्दर बॉध निर्माण के दौरान छूटी हुई भूमि का अर्जन किये जाने बाबत्।

नोट :— भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पलता सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 10 जून 2011

क्र. 1434-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र.-01-अ-82-2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभवना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजनों का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	दलौदा	नंदावता चौसला पिपलखेड़ी	04.27 27.77 00.36	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर, म. प्र.	चौसला तालाब इूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु।
<u>कुल योग :</u>				<u>32.40</u>	

नोट :— भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड, मन्दसौर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर के यहां देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 जून 2011

क्र. 945-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभवना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

भूमि का विवरण				अनुसूची	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर/मनगढ़ा	खैरा	0.600	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा, म. प्र.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर एवं माइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 947-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर/मनगढ़ा	बरा कोठार	2.975	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर एवं माइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।				

क्र. 949-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर/मनगढ़ा	देवास कोठार	16.575	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर एवं माइनर नं. 1 एवं 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।				

क्र. 951-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
रीवा	सिरमौर/मनगढ़ा	अतरैला पैपखार	3.850	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर एवं माइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 953-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
रीवा	सिरमौर/मनगढ़ा	पिपराहा कोठार	1.31	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर एवं माइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 955-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर/मनगवां	पुरवा कोठार	5.212	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर एवं माइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।				
					मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 13 जून 2011

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 281-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	नरवार कला एवं करैया, देवरी.	12.591	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग, रीवा (म. प्र.).	नरवार तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 15 जून 2011

क्र.-प्र.भू.अ.-2011-4794.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
			लगभग क्षेत्रफल					
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
सागर	मालथौन	अटाकर्नेलगढ़	42	6.96	संभागीय प्रबंधक रोड डेव्हलपमेंट कापोरेशन सागर, संभाग, सागर।	सागर ललितपुर मार्ग पर ग्राम खिरियाडांग एवं अटाकर्नेलगढ़ में जांच चौकी निर्माण।		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अ.वि.अ. राजस्व खुरई में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
झ. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 16 जून 2011

प्र.क्र. 02-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण		
			लगभग क्षेत्रफल					
			(हेक्टेयर में)	(4)				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)				
छतरपुर	नौगांव	बड़ागांव	0.883	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व नौगांव।	नौगांव-झांसी मार्ग एन.एच. 75 जांच चौकी निर्माण।			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, नौगांव में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2011

क्र. 2-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
- (ख) तहसील—पाटन
- (ग) ग्राम—पाटन, प.ह.नं. 24, नं. ब. 100
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.975 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
401	0.340
1050	0.730
405/2	0.625
406	1.910
918	0.100
920	0.80
921	0.190
योग . .	3.975

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कृषि उपज मण्डी पाटन को स्वतंत्र मण्डी स्थापना हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) पाटन जिला जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 18 मई 2011

क्र. 876-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 10-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि में स्थित मकान/सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—पाटी
- (ग) नगर/ग्राम—पखाल्या
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.530 हेक्टर।

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
127	0.020
128	0.146
124, 125	0.364
योग . .	0.530

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिलावद-पलसूद मार्ग के गोई नदी पर निर्माणाधीन पुल, पहुंच मार्ग निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु) संभाग इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (सेतु) उपसंभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)
टीकमगढ़, दिनांक 30 मई 2011	8/6	2.629
	8/7	1.000
	8/8	1.400
	6/2ग	0.600
	योग . .	27.131

क्र. 3-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 3-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है इस संबंध में माननीय आयुक्त, सागर संभाग सागर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 843-एक-स.अ.-2010, दिनांक 27 सितम्बर 2010 अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 17(1) के तहत अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति दी जा चुकी है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—मोहनगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—केशरमढ़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—27.131 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3/1ख	1.000
3/1/2	0.971
3/2	3.500
3/3	3.000
4/1	0.202
3/4	0.089
4/2	2.000
4/3क	1.000
5/1/क/2	2.500
5/2	0.506
6/2क/1	1.000
6/2क/1जु.	1.634
6/2ख/1जु. 4	1.214
6/2क/1क	1.619
6/2क/1ख	0.457
8/1	0.810

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—टीलादांत तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 5-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 5-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है इस संबंध में माननीय आयुक्त, सागर संभाग सागर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 843-एक-स.अ.-2010, दिनांक 27 सितम्बर 2010 अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 17(1) के तहत अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति दी जा चुकी है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—मोहनगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—दरगांय कला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—8.573 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
594/1	0.040
595/1	0.073
596	0.320
597	0.182
598	0.263
599/3	0.150

(1)	(2)	
600	0.214	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—टीलादांत तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
602	0.134	
603/3	0.300	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
606/1	0.800	
614	0.166	
615	0.040	
616	0.190	
617	0.259	क्र. 11-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 11-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है इस संबंध में माननीय आयुक्त, सागर संभाग सागर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 843-एक-स.अ.-2010, दिनांक 27 सितम्बर 2010 अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 17(1) के तहत अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति दी जा चुकी है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—
618	0.182	
619	0.227	
620	0.324	
621	0.174	
622	0.028	
623	0.016	
624	0.142	
625	0.142	
626	0.162	
627	0.640	
628	0.162	
629	0.135	(1) भूमि का वर्णन—
630	0.619	(क) जिला—टीकमगढ़
631	0.020	(ख) तहसील—मोहनगढ़
632	0.146	(ग) नगर/ग्राम—मोगना
633	0.146	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.494 हेक्टर.
634	0.162	सर्वे नं. रकबा—
635	0.174	
636	0.045	खसरा नं. रकबा
638	0.125	(हेक्टर में)
639	0.093	(1) (2)
642	0.069	74/1 0.101
645	0.097	88 जु. 0.393
647	0.081	योग . . <u>0.494</u>
637	0.097	
640	0.085	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—टीलादांत तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध स्पिल चैनल, वेस्ट वियर निर्माण हेतु.
641	0.097	
643	0.053	
646	0.093	
648	0.073	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
644	0.040	
649	0.793	
योग . .	8.573	

क्र. 12-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 12-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है इस संबंध में माननीय आयुक्त, सागर संभाग सागर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 843-एक-स.अ.-2010, दिनांक 27 सितम्बर 2010 अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 17(1) के तहत अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति दी जा चुकी है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—मोहनगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—टीलादांत
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—24.902 हेक्टर।
सर्वे नं.-रकबा

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
20/2	0.200
20/3	0.200
20/4	0.200
20/5	0.200
23	0.600
25/2	0.405
25/3	1.200
25/4	0.809
25/5	0.809
25/6	0.874
27/1	0.271
27/2	0.938
28	0.061
29/2	1.000
38/1	0.809
40/1	0.400
40/10	0.500
40/11	0.500
40/12	0.500
40/13	0.500
40/14	0.500
40/15	0.559
40/16	0.500

(1)	(2)
40/2	1.000
40/3	0.500
40/4	0.500
40/5	0.500
40/6	0.500
40/7	0.500
48/8	0.500
40/9	0.500
41/1	3.023
41/1	1.607
41/2	1.214
41/3	1.214
44/1	0.809
योग . .	24.902

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—टीलादांत तालाब योजना के दूब क्षेत्र हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 6 जून 2011

प्र. क्र. 04-अ-82-2010-11-पत्र क्र. 30-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
- (ख) तहसील—गाडरवारा

(ग) ग्राम—गोलगांवखुर्द		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.081 हेक्टर.		264	0.03
खसरा नम्बर	रकबा	265	0.03
	(हेक्टेयर में)	270	0.02
(1)	(2)	329	0.01
104	0.049	271/1	0.01
106, 107, 108	0.032	328/1	0.01
योग . .	<u>0.081</u>	271/3	0.01
		328/3	0.01
		271/2	0.01
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सड़क निर्माण हेतु.		328/2	0.01
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय, गाडरवारा में किया जा सकता है.		284/1	0.03
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		284/2	0.05
		285/1	0.14
		286	0.05
		285/2	0.11
		287	0.04
		293/2	0.06
		294	0.09
		295	0.03
		259/5	0.03
		327	0.02
		योग . .	<u>0.85</u>

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 6 जून 2011

क्र. 4647-भूमि संपादन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
- (ख) तहसील—महिदपुर
- (ग) ग्राम—इटावा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.85 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा
	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
257	0.01
258	0.04

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जवासिया पथ से नारायण मार्ग निर्माण में आ रही अशासकीय भूमि का अधिग्रहण कर मुआवजा देने हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महिदपुर में देखा जा सकता है.

क्र. भूमि संपादन-2011-प्र. क्र. 1-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
- (ख) तहसील—महिदपुर

- (ग) नगर/ग्राम—बरखेडाबुजुर्ग
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.43 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
224/2	0.07
225	0.01
228	0.02
229	0.03
230/1	0.04
310/1	0.03
230/2	0.01
231	0.03
232	0.01
276	0.08
289	0.02
290	0.07
291	0.10
292	0.13
293	0.28
294	0.06
295	0.11
296	0.01
311/1	0.08
308	0.09
310/2	0.02
224/1	0.05
420	0.08
कुल योग . .	1.43

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जवासिया पंथ से नारायणा मार्ग निर्माण में आ रही अशासकीय भूमि का अधिग्रहण कर मुआवजा देने हेतु.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान)कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भूमि संपादन-2011-प्र. क्र. 2-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,

इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
 (ख) तहसील—महिदपुर
 (ग) नगर/ग्राम—गांगाजलखेडा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.48 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
106	0.18
107	0.05
108	0.02
110/1	0.17
110/2	0.04
110/3	0.08
122	0.04
126	0.22
137/2	0.26
138	0.01
239	0.01
205/1	0.01
206	0.04
229	0.04
208/1	0.03
208/2	0.01
226	0.04
236	0.04
227	0.01
231	0.01
232	0.01
233	0.02
238	0.01
244	0.01
285	0.03
315	0.02
123	0.08
कुल योग . .	1.48

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जवासिया पंथ से नारायणा मार्ग निर्माण में आ रही अशासकीय भूमि का अधिग्रहण कर मुआवजा देने हेतु.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान)कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भूमि संपादन-2011-प्र. क्र. 3-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
- (ख) तहसील—महिदपुर
- (ग) नगर/ग्राम—जवासिया पंथ
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.57 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
182/1	0.02
188/3	0.08
183/1	0.02
188/2	0.02
183/2	0.01
183/3	0.02
188/5	0.01
188/4	0.01
188/1	0.02
192/2	0.10
161/2	0.12
196/1	0.06
162/2	0.02
197	0.06
योग . .	0.57

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जवासिया पंथ से नारायण मार्ग निर्माण में आ रही अशासकीय भूमि का अधिग्रहण कर मुआवजा देने हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान)कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. भूमि संपादन-2011-प्र. क्र. 4-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,

इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
- (ख) तहसील—महिदपुर
- (ग) नगर/ग्राम—डोंगला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.42 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
47/1	0.03
47/2	0.03
50/1	0.02
50/2	0.02
80/1	0.09
51	0.05
52/1	0.04
71	0.01
72	0.01
73	0.01
74	0.02
75	0.01
133	0.06
134	0.08
136	0.10
158	0.10
159	0.15
164	0.09
169	0.09
170/2	0.03
170/1	0.06
172	0.01
173/1	0.07
174	0.09
180	0.01
184	0.14
योग . .	1.42

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जवासिया पंथ से नारायण मार्ग निर्माण में आ रही अशासकीय भूमि का अधिग्रहण कर मुआवजा देने हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान)कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 8 जून 2011

संशोधित उद्घोषणा “डी” नोटिफिकेशन

क्र. 731-भू-अर्जन-।—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—त्यौथर
- (ग) नगर/ग्राम—चाकघाट
- (घ) क्षेत्रफल — 3.183 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
285/3श	0.399
292	0.121
293/1	0.007
287	0.365
295	0.209
296	0.142
297/1क	0.083
311/1	0.003
314	0.109
316	0.065
317	0.130
318	0.093
320	0.032
321	0.134
312	0.114
376/1	0.127
376/2ड	0.021
377	0.481
378	0.454
381/1	0.094
योग . .	3.183

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इलाहाबाद मार्ग पर बार्डर चेक पोस्ट निर्माण।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, त्यौथर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

हरदा, दिनांक 9 जून 2011

क्र. 319-भू-अर्जन-3-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—हरदा
- (ख) तहसील—सिराली
- (ग) नगर/ग्राम—सिराली
- (घ) क्षेत्रफल — 2.288 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
212/1 में से	0.736
240 में से	0.764
241	0.788
योग . .	2.288

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उप मंडी सिराली के विस्तार एवं स्वतंत्र मंडी के निर्माण हेतु पूरक प्रस्ताव।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं सचिव, कृषि उपज मंडी समिति खिरकिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4) भू-अर्जन के इस प्रकरण में भू-अर्जन अधिकारी की धारा 17(1)(4) के अन्तर्गत आवश्यकता के संबंध में आयुक्त महोदय, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के ज्ञापन आदेश क्र. 981/राजस्व-2/2011 होशंगाबाद, दिनांक 23-3-2011 के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।

क्र. 317-भू-अर्जन-34-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—हरदा
- (ख) तहसील—खिरकिया
- (ग) नगर/ग्राम—पडवा
- (घ) क्षेत्रफल —0.405 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
20/2 में से	0.405
योग . .	0.405

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—माचक उप नहर निर्माण हेतु संशोधित प्रस्ताव.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंगसली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिपॉर्टमेंट, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिपॉर्टमेंट, दिनांक 10 जून 2011

क्र. भू-अर्जन-1-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिपॉर्टमेंट
- (ख) तहसील—डिपॉर्टमेंट

(ग) ग्राम—कोहका	अर्जित रकबा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.80 हेक्टर.	(हेक्टर में)
खसरा नंबर	
(1)	(2)
206	0.80
योग . .	0.80

(शास. भू.)	
766	1.00
कुल योग . .	1.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मड़ियारास समूह नलजल योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 10 जून 2011

क्र. 775-वाचक-प्र.क्र. अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—मनावर
- (ग) ग्राम—कोसवाडा (पूरक)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.069 हेक्टर.

सर्वे नं. निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
25/2	0.756
26/1	0.145

(1)	(2)	(1)	(2)
27/1	0.048	541	0.022
25/1	0.575	585/1	0.036
93	0.275	585/2	0.100
94/3/ख	0.200	586	0.072
97/2/4	0.050	588/2	0.020
146/3	0.020	589	0.040
148/1ग/1	0.100	590	0.110
योग . .	<u>2.069</u>	592/2	0.022
		718/3	0.173
		719/3	0.040
		737/2	0.033
		795	0.020
		925/2	0.125
		योग . .	<u>1.000</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—ऑकरेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 153261 मी. से 155804 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु।
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

धार, दिनांक 14 जून 2011

क्र. 6388-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—धार
- (ग) ग्राम—खेड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.000 हेक्टर।

सर्वे नं. निजी	अर्जित रकमा
	(हेक्टर में)

(1)	(2)
320	0.092
377/2	0.020
485/1	0.020
538	0.055

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—नई बड़ी रेलवे लाईन इन्दौर दाहोद बरास्ता (झाबुआ-धार-पीथमपुर) निर्माण प्रभावित होने से।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) तृतीय, पश्चिम रेलवे, रतलाम (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 13 जून 2011

क्र. 282-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला—सतना
 - (ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—नरवार कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.061 हेक्टर।

खसरा नं.	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
365	0.034
346	0.074
347/2, 347/1	0.157
323/4	0.055
324/1, 324/2	0.024
325	0.012
326	0.126
329	0.036
328	0.052
327	0.037
300	0.033
299/2	0.042
298	0.072
297/2, 297/3	0.081
296/2, 296/1	0.151
242	0.225
238	0.001
201/2, 201/1	0.109
173/1, 173/2, 173/3, 173/4	0.186
75/4, 75/2	0.024
71	0.036
202	0.012
203	0.006
204	0.033
207	0.028
231	0.003
196, 188/1, 188/2	0.014
188/3	0.058
190/1, 190/2	0.032
191	0.054
185	0.066
189/1	0.033
184	0.006
172/1, 172/2	0.066
72	0.037
68	0.037
67	0.009
योग . .	<u>2.061</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है—नरवार तालाब योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 284-भू-अर्जन-2011-संशोधित अधिसूचना.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मझगावं

(ग) नगर/ग्राम—मझगावं

खसरा नम्बर	पूर्व में प्रकाशित रकबा (हेक्टर में)	अर्जित होने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
1	0.014	0.074
70/1	0.148	0.209
79	—	0.025
710/2	—	0.439
710/1ख/1	—	0.502
491/1क	—	0.031
491/1ग	—	0.030
495/2/2	—	0.021
610/1	—	0.046
611/1	—	0.011
612	0.005	0.040
647/852	0.003	0.052
615	—	0.136
661	0.195	0.314
611/2क	—	0.006
611/2ख	—	0.005
611/3ख	—	0.006
611/3क	—	0.005
611/4	—	0.011
610/2	—	0.046

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है—सतना चित्रकूट टू लेन रोड निर्माण बावत्।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि,	(1)	(2)	(3)
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं	712	0.029	
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	51	0.130	
	48	0.202	
	49	0.029	
	1625	0.07	
	1626	0.08	
	योग . .	<u>2.082</u>	

क्र. 957-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—रहट
- (घ) क्षेत्रफल —2.082 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

अशासकीय भूमि		
(1)	(2)	(3)
752	0.284	
753	0.001	
755	0.05	
756	0.065	
749	0.024	
757	0.135	
758	0.118	
748	0.001	
747	0.048	
744	0.192	
743	0.001	
736	0.04	
737	0.07	
728	0.132	
729	0.144	
724	0.086	
725	0.001	
715	0.115	
714	0.001	
70	0.034	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चबाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 959-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सेमरिया
- (ग) ग्राम—कपसा मामला
- (घ) क्षेत्रफल —2.652 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

अशासकीय भूमि		
(1)	(2)	(3)
591	0.35	
616	0.029	
628	0.051	
542	0.024	
617	0.001	
618	0.127	
533	0.024	
534	0.264	
530	0.002	
529	0.068	

(1)	(2)
528	0.032
526	0.187
527	0.013
509	0.16
506	0.067
512	0.323
518	0.019
492	0.115
491	0.13
859	0.264
860	0.036
857	0.192
858	0.001
856	0.082
855	0.091
योग . .	<u>2.652</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 9 जून 2011

क्र. 929-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—झिरन्या
(ग) ग्राम—पखाल्या वनपरिक्षेत्र चिरिया

खसरा नं.	कक्ष क्र.	अतिक्रमित वनभूमि का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
27/11, 29/9	300	0.243
27/31	300	0.170
27/33	300	0.209
27/4	300	0.238
29/15	300	0.084
27/10, 27/9	300	0.364
27/7	300	0.332
27/5	300	0.198
25/27, 25/82	301	1.099
25/6	301	0.440
25/18	301	0.064
25/7	301	0.361
योग . .	<u>3.802</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अपरवेदा परियोजना की मुख्य नहर, सुर्वा माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय, खरगोन, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल खरगोन एवं कार्यालय यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 19, भीकनगांव के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 930-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—झिरन्या
(ग) ग्राम—लखापुर वनपरिक्षेत्र चिरिया
(घ) क्षेत्रफल—0.540 हेक्टर।

दिनांक 13-12-2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है:

खसरा नं.	कक्ष क्र.	अतिक्रमित वनभूमि का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
241/25	301	0.156

(1)	(2)	(3)
241/6	301	0.222
241/29	301	0.162
	कुल योग . .	0.540

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अपरवेदा परियोजना की सुर्वा मार्इनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय, खरगोन, बनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल खरोगन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 19, भीकनगांव के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 30 मई 2011

क्र. 982-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 12-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्र. 169-5-कोर्ट-2011, इन्दौर दिनांक 11 फरवरी 2011 से अधिनियम की धारा 17(1) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—सालखेड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.405 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
79/1ख	0.405
योग . .	0.405

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जलगोन तालाब शीर्ष कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 14 जून 2011

क्र. 1145-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 11-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्र. 169-5-कोर्ट-2011, इन्दौर दिनांक 11 फरवरी 2011 से अधिनियम की धारा 17(1) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—राजपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.650 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
275/1	0.340
275/9	0.360
276/1	0.200
276/3	0.350
277/2क	0.200
277/3	0.200
योग . .	1.650

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जलगोन तालाब नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।	(1)	(2)
	30/5, 30/6	0.125
	32/6	0.100
	31/2, 31/3, 32/9	0.200
	31/5	0.200
	31/6	0.100
	32/2	0.182
	32/7	0.300
	39/8, 39/17, 40/1	0.100
	39/14, 40/10	0.200
	39/12, 40/8	0.100
	39/15, 40/11	0.183
	40/4	0.202
	40/6	0.100
	40/7	0.100
	40/9	0.100
	48/17	0.114
	39/19	0.114
	48/1 क	0.828
(क) जिला—बड़वानी	40/12	0.030
(ख) तहसील—राजपुर	46/9	0.202
(ग) ग्राम—जलगोन	47/2	0.550
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.624 हेक्टर।	48/4	0.607

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)	
(1)	(2)	
12/4	0.050	48/1ख
14/2	0.100	48/3
14/4, 15/3	0.100	48/16
14/5, 15/8	0.100	126/1
15/5	0.100	128/1ख,
15/7	0.100	128/2ख,
17/3	0.250	128/3ख
17/4	0.200	129/2
17/6	0.300	129/3, 130/1
18	0.200	131/1
23/1	0.300	131/2
20/1	0.100	
23/3	0.050	
		योग . . 8.624

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जलगोन तालाब के शीर्ष कार्य, वेस्ट विवर एवं नहर निर्माण कार्य हेतु।

बड़वानी, दिनांक 15 जून 2011

क्र. 1146-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 15-अ-82-2010-11.—चूंकि,
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में
उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम,
1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा,
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये
आवश्यकता है। भू-अर्जन की अतिआश्यकता की घोषणा के संबंध में
आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्डौर के पत्र क्र. 169-5-कोट-2011, इन्दौर
दिनांक 11 फरवरी 2011 से अधिनियम की धारा 17(1) अर्जेन्सी
क्लाज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—जलगोन
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—8.624 हेक्टर।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।	(1)	(2)
	34/5	0.150
	37/1	0.150
	37/2	0.150
	37/3	0.300

बड़वानी, दिनांक 16 जून 2011

क्र. 1155-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 13-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भू-अर्जन की अतिआश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्र. 169-5-कोर्ट-2011, इन्दौर दिनांक 11 फरवरी 2011 से अधिनियम की धारा 17(1) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:—	(1)	(2)
अनुसूची		
	65/1	0.050
	65/2	0.160
	65/3	0.352
	65/4	0.110
	65/5	0.040
	79/1	0.300
	79/3	0.310
	79/4	0.602
	योग . .	<u>7.238</u>

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)	
(1)	(2)	
1/10	0.100	
1/12	0.520	
9/1	0.250	
13, 14/2	0.500	
16/2	0.250	
16/4	0.150	
16/5	0.120	
34/1	0.150	
34/2	0.150	
34/3	0.150	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता
है—जलगोन तालाब शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण
कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला बड़वानी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी
राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
संभाग, बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा
सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 6 जून 2011

क्र. A-1403-दो-2-27-2011.—श्री जे. पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 23 मई 2011 से दिनांक 4 जून 2011 तक तेरह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 5 जून 2011 से दिनांक 10 जून 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 मई 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 जून 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. माहेश्वरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4590-दो-2-5-2011.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 9 जून 2011 से दिनांक 15 जून 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 07 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. C-4592-दो-2-34-2010.—श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 23 मई 2011 से दिनांक 6 जून 2011 तक पन्द्रह दिन ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 7 जून 2011 से दिनांक 18 जून 2011 तक बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 जून 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4595-दो-3-26-2002.—श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 5 मई 2011 से दिनांक 6 मई 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेट अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4604-दो-3-35-2011.—श्री आर. पी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रत्लाम को दिनांक 9 मई 2011 से दिनांक 13 मई 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 मई 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 मई 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रत्लाम को रत्लाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4606-दो-2-36-2010.—श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 4 मई 2011 से दिनांक 7 मई 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 मई 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4608-दो-2-16-2002.—श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 18 मई 2011 से दिनांक 21 मई 2011 तक चार दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 16 मई 2011 से दिनांक 17 मई 2011 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 मई 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4610-दो-2-72-2009.—श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक-पत्र क्रमांक-3729-इक्कीस-ब-(एक), दिनांक 11 नवम्बर 2010 के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2005 से दिनांक 31 अक्टूबर 2007 तक (दो) वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार

जबलपुर, दिनांक 6 जून 2011

क्र. C-4600-दो-2-31-2010.—श्रीमती गिरिबाला सिंह, रजिस्ट्रार (न्यायिक-1), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक

14 जून 2011 से दिनांक 23 जून 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती गिरिबाला सिंह, रजिस्ट्रार (न्यायिक-1), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती गिरिबाला सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो रजिस्ट्रार (न्यायिक-1) के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. C-4602-दो-3-76-2009.—श्री सत्येन्द्र सिंह, रजिस्ट्रार (व्हीएल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 14 जून 2011 से दिनांक 23 जून 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सत्येन्द्र सिंह, रजिस्ट्रार (व्हीएल), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सत्येन्द्र सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (व्हीएल) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4597-दो-3-97-2009.—श्री अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डीई), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 14 जून 2011 से दिनांक 23 जून 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डीई), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाते हैं कि श्री अभय कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (डीई) के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार।